POCSO &CT, 2019

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT



WHAT IS THE POCSO ACT?

- **POCSO Act** came into effect on 14th November 2012 which was enacted in consequence to India's ratification of the **UN Convention on the Rights of the Child in 1992.**
- The aim of this special law is to address **offences of sexual exploitation and sexual abuse** of children, which were either not specifically defined or in adequately penalized.
- The Act defines a child as any person below the age of 18 years. The Act provides punishment as per the gravity of offence.
 - The Act was further reviewed and amended in 2019 to Introduce more stringent punishment including the death penalty for Committing sexual crimes on children, with a view to deter the perpetrators & prevent such crimes against children.

 The Protection of Children from Sexual Offences, or POCSO, (Amendment) Bill, 2019 seeks to provide for stringent punishment to those engaging in sexual crimes against children, death penalty in cases of aggravated sexual assault, besides levying fines and imprisonment, to curb child pornography.



• The POCSO Bill proposes to protect the interest of vulnerable children in times of distress and ensure their safety and dignity. The Bill has been approved by Parliament — the Rajya Sabha on July 29, 2019 and the Lok Sabha passed it on August 1, 2019.

FEATURES OF POCSO ACT

- Children" according to the Act are individuals aged below 18 years. The Act is gender-neutral.
- Sexual assault is deemed to be "aggravated" under certain circumstances such as when the child is mentally ill. Also when the abuse is committed by the person in a position of trust such as a doctor, teacher, policeman, family member
- Adequate provisions are made to avoid re-victimization of the Child at the hands of the judicial system. The Act assigns a policeman in the role of child protector during the investigation process.
- Section 42 A of the Act provides that in case of inconsistency with provisions of any other law, the POCSO Act shall override such provisions.
- The Act calls for mandatory reporting of sexual offences. A false complaint with intent to defame a person is punishable under the Act.

AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT OR PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT

In the following case, the sexual act or Penetrative sexual assault becomes aggravated:

- The offence is committed by a police officer
- The offence is committed by a member of armed forces
- The offence is committed by a public servant
- The offence is committed by person on the management or staff of any hospital or educational institution
- The offence is committed on a child with physical or mental disability.

The punishment for committing penetrative sexual assault on a child is minimum 7 years imprisonment, which can extend to life imprisonment, as well as payment of fine.

- For aggravated penetrative sexual assault on a girl child by a man the punishment is a minimum of ten years imprisonment which may extend to life imprisonment plus fine.
- Life imprisonment means punishment till the remainder of the person's natural life.



Sexual assault committed by a police officer, a public servant, or any staff of a hospital amounts to AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT.

Penetrative sexual assault committed by a police officer, a public servant, or any staff of a hospital amounts to AGGRAVATED PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT.

POCSO RULES

Interim Compensation and Special Relief

 Rule-9 of the POCSO Rules allows the Special Court to order interim compensation for the child's needs related to relief or rehabilitation after the FIR's registration.

Immediate Payment of Special Relief:

 Under the POCSO Rules, the Child Welfare Committee (CWC) may recommend immediate payment for essential needs like food, clothes, and transportation, using funds from the District Legal Services Authority. The payment must be made within a week of receiving the CWC's recommendation.

Support Person for the Child:

- The POCSO Rules empower the CWC to provide a support person to assist the child throughout the investigation and trial process.
- The support person is **responsible for ensuring the child's best interests,** including physical, emotional, and mental well-being, access to medical care, counseling, and education.





The child who has suffered under a POCSO offence should not be made to suffer yet again from a difficult legal process. The child's statement should be taken in the presence of her parents or someone she trusts. It should be recorded preferably by a woman police officer in civil dress.



ISSUES AND CHALLENGES

- <u>Issue with the Investigation; Low Representation of Women in the Police Force:</u>
 - The POCSO Act provides for recording the statement of the affected child by a woman subinspector at the child's residence or place of choice.
 - But it is practically **impossible to comply with this provision** when the number of women in the police **force is just 10%**, and many police stations hardly have women staff.

• Lapses in the Investigation:

• Though there is a provision to record statements using **audio-video means**, however, there are still reports of **lapses in the investigation** and preservation of crime scenes in some cases it is the duty of the investigating officer to photograph and videograph the scene of crime and to preserve the same as evidence.

• <u>Issue of Age Determination:</u>

- Though age determination of a juvenile delinquent is guided by the <u>Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act</u> 2015 no such provision exists under the POCSO Act for juvenile victims.
 - However, in absence of any change in the law or even specific directions, the investigating officers continue to rely on the date of birth recorded in school admission-withdrawal registers.

Delays in the Filing of Charges:

- The investigation of a case under the act is to be completed within a period of one
 month from the date of the commission of the offence, or from the date of the reporting of
 the offence.
- However, in practice, the completion of investigation often takes longer than one month due
 to various reasons such as lack of adequate resources, delays in obtaining forensic evidence,
 or the complexity of the case.







The child who has suffered under a POCSO offence should not be made to suffer yet again from a difficult legal process. The child's statement should be taken in the presence of her parents or someone she trusts. It should be recorded preferably by a woman police officer in civil dress.



Under POCSO, 'child' means any person below the age of 18 years. Sadly, even babies have been subjected to severe sexual assault

THANK YOU!

केन्द्र स्थापित करना तथा चलाना







परिचय

- बाल देखभाल अनुरक्षण केन्द्र में चाहे वह शिशगृह हो शालापूर्व केन्द्र हो या दिवस देखभाल केन्द्र, बच्चों को विभिन्न प्रकोर की सामग्री खेलने के लिए देकर केन्द्र का संचालन भली-भाँति हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों के साथ काम करने के लिए सही प्रकार के लोगों का चुनाव किया जाए जो बच्चे वहाँ आते हैं, जो कुछ काम वे वहाँ करते हैं तथा जिन खिलोनों व सामग्री से वे खेलते हैं आदि का लेखा-जोखा केन्द्र को रखना पड़ता है।
- इस जिज्ञासा को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिएताकि बच्चे केन्द्र के माहौल में सुविधा महसूस करें और साथ ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ आयोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान हो यह बात सुनिश्चित करने के लिए स्थान का चनाव तथा उसकी व्यवस्था (बाहरी तथा भीतरी दोनों की सावधानी से करनी चाहिए

उद्देश्य

- केन्द्र के लिए स्थान का चुनाव करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका विवरण दे सकेंगे,
- केन्द्र के भीतरी तथा बाहरी दोनों स्थानों को व्यवस्थित कर सकेंगे,
- केन्द्र के लिए खेल सामग्री तथा साज-सामान का चयन कर सकेंगे, बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों का चुनिक करिते समय ध्यान रखने योग्य पहलुओं को पहचान सकेंगे,

•

• केन्द्र में किस प्रकार के आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर रखने हैं इसका वर्णन कर सकेंगे; और

•

• केन्द्र के लिए धन प्राप्त करने के तरीके के बारे में सुझाव दे सकेंगे।

रूपरेखा

- केन्द्र के लिए जगह की व्यवस्था करना
- ० भीतरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना
- ० बाहरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना

- ० साज-सामान तथा खेल सामग्री
- ० केन्द्र के कार्यकर्त्ता



केन्द्र के लिए जगह की व्यवस्था करना

• केन्द्र के लिए सही स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कमरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेलू क्रियाओं में लगभग 25-30 बच्चे आराम से भाग ले संकें जगह इतेनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपसे में या थि टक्कर् न हो। पूर्योप्त स्थान का होना बहुत महुत्वपूर्ण हे क्र्य ड़भाड़ से खेल सामुग्री के अन्वेषण के अवसर बूच्चों के किम मिल पार्त हैं। सामाहक ख़ुल क्रियाए आयोजितू हो पाएगी या नहीं, और अगर हो पाएँगी तो तर्हें यह भी उपलब्ध स्थान पर निर्भर क्रत्रा है। केन्द्र में जूराह् केमू और बच्चे आधक होने से आक्रामुक व्यवहार बढ़ने की संभावना रहती है। यदि संभव हो तो होना चाहिए जहाँ बच्चे खेल सके। यदि आपका केन्द्र शालापूर्व बच्चों व शिशुओं, दोनों के लिए है तो बड़े तथा छोटे बच्चों के लिए अलग-अलग् कमरे होने चाहिए। केन्द्र बच्चों के घरों के नजदीक स्थित होना चाहिए, जिससे वे आसानी से केन्द्र में आ सकें।

• आपको बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुख्खा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोशनीवायु संचार, शौचालय तथा EOPLE'S स्वच्छता सुविधाओं की जांच करें। प्रत्येक कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु के लिए कम से कम एक खिड़कीहोनी चाहिएबच्चों के लिए शौचालयनजदीक से पानी का नल तथा खाना पकाने के लिए अलग स्थानका होना भी आवश्यक हैकेन्द्र के आस-पास के क्षेत्र के स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर होने पर विशेष ध्यान भौतिक परिवेश की व्यवस्था करते समय स्वच्छता को शाथमिकता दी जानी चाहिए • सुरक्षित वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण हैजब आप केन्द्र के लिए स्थान की तलाश कर रहे हो तो उन स्थानों को न चुनें जो तालाबोंझरनखुले कुओं या अधिक यातायात बाली सड़कों के पास हो । उन कमरों को भी न चुनें जहां से सीढ़ियों, छज्जों या छत पर जाया जा सके या जो कूड़ेदानों या जानवरों के रहने की जगह के समीप हो, क्योंकि ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं

भीतरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना

• जिस प्रकार से स्थान की व्यवस्था करेंगे उससे बच्चों के सीखने पर तथा उनकी स्वायत्ता व स्वाधीनता की भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। मुख्य काम है उपलब्ध स्थान में खेल सामग्री और साज-समान को इस प्रकार रखना कि वह बच्चे को अपने भौतिक परिवेश के साथ-साथ दूसरों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखने तथा सिक्रय बनने के लिए प्रोत्साहित करे। आइए, देखें कि शालापूर्व बच्चों के लिए कमरे को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है।

• कमरे के बीचों बीच एक दुरी बिछाइए यह वह स्थान है जहां बच्चे कहानी सुनने तथा गाने या बाल कविताएँ गाने जैसी सामूहिक क्रियाओं के लिए इकट्ठे होंगे। तथापि, दरी पूरे कमरे में नहीं बिछाई जानी चाहिए। एक तरफ या सभी तरफ कुछ स्थान चित्रकारी, चिकनी मिट्टी से काम करने, पानी से खेलने या वैज्ञानिक प्रयोग करने जैसी खेल क्रियाएँ आयोजित करने के लिए रखा जा सकता है। यदि धन तथा स्थान उपलब्ध है तो चित्रकारी रंग भरने तथा पुस्तक पढ़ने जैसी क्रियाओं के लिए एक कोने में नीची मेलों और उनके आसपास कुर्मियों की व्यवस्था की जा सकती है।'

• बच्चों को अपनी मनपसंद क्रिया चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे विभिन्न क्रिया क्षेत्रों की सामिययों को मिला-जुलाकरे भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुक्त खेल के दौरान एक बालिका अपनी माँ की तरह कपड़े पहनकर, पुस्तकालय क्षेत्र से एक पुस्तक उठाकर तथा गुड़ियाघर से बुड़िया लेकर कहानी पढ़ते हुए अपनी "बेटी" को सुलाने का नाटक कर सकती है। इस प्रकार का सचीलापन होना अनिवार्य है। इससे क्रियाओं में बच्चों की रुचि बनी रहती है

बाहरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना

• बच्चों को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है। सीखने के जो व्यापक अवसर बाहरी. खेल प्रदान करते हैं. उनके बारे में तो आप जानते हो हैं। यदि केन्द्र के परिसर में कोई खुला स्थान नहीं है, तो आप नियमित रूप से बच्चों को पड़ोस के पार्क, खेत या खुली जगह में ले जाएँ।



• बाहर खेले जाने वाले खेलों से व्यायाम हो जाता है, विशेषकर बड़ी मांसपेशियों का बच्चों को अपनी ऊर्जा व्यय करने के लिए तथा कौतूहल शांत करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए खेल के मैदान में दौड़ने, कूदने, खोदने, चढ़ने, खोलने, फिसलने, दूलने, किसी सुरंग में घुटनों के बल चलने तथा तीन पहियों वाली साइकिल चलाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। खेल के मैदान में इन सब खेल क्रियाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पुराने टायरों से मवेदार झूला बनाया जा सकता है। उन्हें आप फर्श पर भी डाल सकते है ताकि बच्चे एक टायर से टायर में कर सकते है जाए करने हैं सहस्थे के प्रारंग स्थान बच्चे एक् टायर से दूसरे टायर में कूद सूके। चिकनी लकड़ी के फट्टों का प्रयोग फिसलंने वाला झूला (slide) बनाने के लिए किया जा सकता है। कोट से बने साफ सीवर के पाइपों और इमों को मुरंगों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है

साज सामान व खिलौने

सही प्री-स्कूल वातावरण बनाने के लिए फर्नीचर का सही संयोजन कैसे चुनें

पूर्वस्कूली स्थान प्रस्तुत करने के लिए अपने पैसे के सर्वोत्तम मूल्य के लिए थोक में फर्नीचर ऑर्डर करना सबसे अच्छा है। लेकिन इससे परे, आपको निम्नलिखित बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी

स्रक्षा

बच्चों को शामिल करने वाले किसी भी वातावरण में सुरक्षा का अत्यधिक महत्व होना चाहिए। जैसा कि हम युवा शिक्षार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, कक्षा में फर्नीचर के साथ ऊपर चढ़ने और अन्वेषणात्मक गतिविधियों के लिए छूट दी जानी चाहिए। इस कारण से, फर्नीचर के सभी टुकड़ों को आकार, आकार और मजबूती के लिए सावधानी से चुनने की आवश्यकता होती है, जो थोड़े मोटे उपयोग को संभाल सकते हैं। तीखे अनुमान और टिमटिमाते पुर्जे दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन्हें बच्चों के वावावरण में नहीं प्राप्त जाना नारिया।



• *सौंदर्यशास्र*

• पूर्वस्कूली बच्चे के लिए सही मनोदशा और सौंदर्यशास्त्र वाला वातावरण बनाने में पूर्वस्कूली फर्नीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वातावरण को बनाने में रंग सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया फर्नीचर चमकदार और रंगीन है और रंग की गुणवत्ता बेहतर है।*

आराम*

• पूर्वस्कूली फर्नीचर चुनते समय आराम निर्णय का अग्रदूत बन जाता है। यह सुनिश्चित करना कि फर्नीचर अच्छी मुद्रा के लिए सही ओरिएंटेशन का है और बच्चे को ठीक से सहारा देने के लिए सही ताकत आवश्यक है। इस उम्र में बच्चे अपने बढ़ते वर्षों में हैं और उनके शारीरिक विकास में सहायता की जानी चाहिए। इसके अलावा, फोल्ड करने योग्य कुर्सियों और तालिकाओं की कार्यक्षमता पर विचार करें ताकि आपको एक बहुमुखी सीखने की जगह मिल सके। जब चीजें मोड़ने योग्य होती हैं, तो आवश्यकता न होने पर उन्हें दूर रखा जा सकता है ताकि जगह को अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सके।

- *खेल उपकरण के चयन के लिए मानदंड*
- योजना और उपकरण की कोई भी मात्रा वास्तविक प्रेम की जगह नहीं ले सकती। लेकिन बच्चे के विकास के लिए मजबूत उपकरण का एक बहुमुखी टुकड़ा - न कि सारे भड़कीले, अत्यधिक विभेदित - बच्चे के प्यार भरे समर्थन में आपका सहायक होगा और आपको हर सुख दुःख में देखेगा।
- *क्या अच्छा खेल बनाता है।
- 1.डिजाइन की सादगी
- 2. उपयोग में बहुमुखी
- 3. आसानी से समझा और हेरफेर किया गया
- 4.सामग्री जो स्पर्श करने के लिए गर्म और सुखद है
- 5.टिकाऊ
- ६.उद्देशयित रूप से काम करो
- ७.सुरिक्षत
- ८.अनुपात और मात्रा में उदार
- 9.टिकाउपन और डिज़ाइन के आधार पर कीमत





रिकॉर्ड व रजिस्टर

•

- *उपस्थिति रिकॉर्ड* : यह नोट करने में मृदद करता है कि बच्चा एक महीने में कितने दिनों तक स्कूल जाता है। अनुपस्थिति के कारणों का उपचारात्मक कदमों की ओर अध्ययन किया जा सकता है और उपस्थिति के संबंध में स्कूल के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- *स्वास्थ्य रिकॉर्ड* : एंथ्रोपोमेट्रिक माप यानी बच्चों की ऊंचाई, वजन और श्रीर का माप महीने में एक बार लिया जाना चाहिए। यह बच्चें के पोषण की स्थित का सूचक है। स्वास्थ्य जांच के परिणामों और सिफारिशों को भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है।

स्टॉक रिकॉर्ड : बनाए गए स्टॉक के बारे में पर्याप्त विवरण वर्तमान और भविष्य में सामग्री/ उपकरण की आवश्यकता को जानने में मदद करेगा

अभिलेखों के प्रकार- अनुरक्षण

बच्चे की सामान्य जानकारी का रिकॉर्ड: इस रिकॉर्ड में शामिल होगा -

1. *बच्चे के बारे में विस्तार से जानकारी:*

बच्चे का सामान्य विवरण: नाम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म क्रम और मातृभाषा आदि।बच्चे का विकासात्मक इतिहास: जन्म का इतिहास, दूध छुड़ाने की उम्र, उपलब्धि हासिल करने की उम्र, बीमारी या दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड आदि। बच्चे की आदतें और रुचियां: भोजन की आदतें, सोने की आदतें, सामाजिक आदतें और रुचियां आदि। *2 .*बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी* :

बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों की सामान्य जानकारी - आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, आय आदि, भाई-बहनों के बारे में जानकारी, परिवार का प्रकार, घर पर सुविधाएं आदि।

अन्य विवरण जैसे घर में उपयोग की जाने वाली भाषाएं, चाहे माता-पिता एक साथ रह रहे हों या अलग-अलग आदि।

घर के दौरे का रिकॉर्ड: यात्रा की तारीख, उद्देश्य, प्राप्त जानकारी, किए गए अवलोकन, माता-पिता की प्रतिक्रियाओं का विवरण शामिल है। यह जानकारी शिक्षक को बच्चे के व्यवहार को समझने में सक्षम बनाती है।

व्यक्तिगत बच्चे पर शिक्षक के अनुमान का रिकॉर्ड: बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं और स्कूल कार्यक्रम में उनकी भागीदारी, रुचियों, क्षमताओं और हस्तक्षेप करने वाले कारकों पर शिक्षक दर।

K

रसीद प्रपत्रों का रिकॉर्ड : फीस के भुगतान के बाद माता-पिता को रसीद का रिकॉर्ड जारी करना आवश्यक है। रसीदें आसान और सटीक बहीखाता सुनिश्चित करती हैं। प्रवेश रजिस्टर का रिकॉर्ड : इस रजिस्टर में बच्चों का नाम, उनके माता-पिता का विवरण - व्यवसाय, आय, जाति, धर्म, पता, बच्चे की जन्म तिथि, मूल स्थान और प्रवेश की तारीख भी दर्ज होनी चाहिए।

*आय और व्ययं को रिकॉर्ड : इसमें आय के स्रोत और स्कूल के व्यय का विवरण होना

चाहिए।

स्कूल के मध्याह भोजन का रिकॉर्डः इसमें हर दिन का मेन्यू और उसके खर्चे दर्ज होने चाहिए। यह जांचने में मदद करता है कि बच्चों को संतुलित आहार दिया जा रहा है या

नहीं। *रिकॉर्ड वार्षिक योजना रिपोर्ट*: इसमें पूरे वर्ष के लिए योजनाएं और कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। प्रत्येक माह के कार्य दिवसों, छुट्टियों और गतिविधियों की कुल

संख्या दर्ज की जानी चाहिए।

*माता-पिता और शिक्षक बैठकों का रिकॉर्ड**: स्कूल के कार्यक्रम में माता-पिता की भागीदारी का विवरण, बैठकों में चर्चा किए गए विषय और माता-पिता द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया जाता है। यह शिक्षक को माता-पिता की भागीदारी के स्तर और आवृत्ति को समझने में मदद करता है।

*रसीद प्रपत्रों का रिकॉर्ड : फीस के भुगतान के बाद माता-पिता को रसीद का रिकॉर्ड जारी करना आवश्यक है। रसीदें आसान और सटीक बहीखाता सुनिश्चित करती हैं।

आगंतुकों का रिकॉर्ड*: जब भी अधिकारियों या मेहमानों द्वारा स्कूल का दौरा किया जाता है, तो उन्हें स्कूल के कामकाज के बारे में अपनी राय या सुझाव रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाना चाहिए।

दैनिक डायरी का रिकॉर्ड: शिक्षक को दैनिक कार्यक्रम - तिथि, गतिविधियों का समय, सामग्री और उपयोग की जाने वाली विधियों आदि को रिकॉर्ड करना चाहिए। यह शिक्षक को कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करता है।

मासिक रिपोर्ट का रिकॉर्ड: कार्य की तारीखों को बनाए रखना आवश्यक है, आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण जिसमें क्षेत्र यात्राएं और स्वास्थ्य जांच आदि शामिल

, फण्ड प्राप्त करना

केन्द्र के लिए फण्ड प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कुछ कार्यक्रमों जैसे समेकित बाल विकास सेवाएँ कार्यक्रम को अपने फण्ड सीघे केन्द्रीय सरकार से मिलते हैं । पूर्व प्रावमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी पूर्व प्रावमिक शिक्षा केन्द्र या शिशुगृह की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संस्थाएँ केन्द्रीय सरकार से फंड मांग सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धन खर्च करने के लिए एक निश्चित बजट होगा । आप स्वयं एक स्वैच्छिक संस्वा का गठन करके उसे पंजीकृत करा सकते हैं और फिर सरकार से फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं । यदि आप कोई नवीन परियोजना शुरू करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय बाल फंड (National Children's Fund), केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और बैंकॉ

साराश

बच्चों के विकास को बदावा देने के लिए केन्द्र में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अंदर कमरे के बीच की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, जहाँ शालापूर्व बच्चे सामूहिक क्रियाएँ कर सके। कमरे की दीवारों के साथ-साथ (कोनों सिहत) क्रिया-क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ उन क्रियाओं विशेष से सम्बद्ध सामग्री रखी जा सके। आदर्श रूप से, खेलने की वस्तुओं को नीची, खुले शैल्फों में उस स्थान के निकट रखना चाहिए जहाँ उनका उपयोग किया जाएगा। उस समय प्रयोग के लिए हर खेल सामग्री एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए तथा अतिरिक्त सामग्री को अन्य जगह पर रखना चाहिए। कमरे की व्यवस्था हमेशा के लिए एक जैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि परिवेश तथा कमरे की व्यवस्था करना एक निरंतर चलने वाली क्रिया है।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी निश्चित करना चाहिए कि परिवेश सुरक्षित, आकर्षक तथा प्रेरक हो। शिशुगृह के लिए भी यही बातें घ्यान में रखनी चाहिएँ। शिशुगृह में भी खेल सामग्री सुलभता से उपलब्ध होनी चाहिए, कई क्रियाएँ आयोजित करनी चाहिएँ और बच्चों को अपनी मनपसंद क्रिया चुनने का अवसर देना चाहिए, परिवेश सुरक्षित तथा प्रेरक होना चाहिए, स्थान की व्यवस्था करने में लचीलापन होना चाहिए तथा व्यवस्था में परिवर्तन होता रहना चाहिए। हाँ शिशुओं के लिए, खेलने की सामग्री तथा उनके लिए आयोजित क्रियाएँ शालापूर्व बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तथा क्रियाओं से अवश्य ही भिन्न होंगी।